मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011
फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619
Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्रमांक/एफ 21-30/ आईसीटीसी/2021/ 3413 भोपाल,दिनांक 30/09/21

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला नोडल अधिकारी , एड्स नियंत्रण कार्यक्रम,
मध्य प्रदेश

विषय: एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों (गर्भवती महिलाओं सहित) के यौन साथियों/पति/पत्नी/आईडीयू के साथियों की एचआईवी जांच के संबंध में |

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की UNAIDS द्वारा वर्ष 2021 तक 95:95:95 की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमे प्रथम 95 के अंतर्गत 95 प्रतिशत PLHIV की पहचान किया जाना है | उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य संस्थाओं मे आई समस्त गर्भवती महिलाओं तथा आवश्यकतानुसार जन सामान्य हितग्राहियों की एचआईवी तथा सिफ़लिस जांच की जानी चाहिए |

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों(गर्भवती महिलाओं सहित) के यौन साथियों/पति/पत्नी/आईडीयू के साथियों की एचआईवी जांच की जाना भी अत्यावश्यक है |राज्य स्तर पर हुई समीक्षा मे पाया गया की संक्रमित व्यक्तियों के यौन साथियों/पति/पत्नी/आईडीयू के साथियों की जांच आईसीटीसी के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं (एफ़-आईसीटीसी,सीबीएस,जेल) द्वारा किया जा रहा है, परंतु उनकी जानकारी नाको के SIMS,PALS तथा SOCH सॉफ्टवेयर मे भी नही की जा पा रही है , जिस कारण राज्य की PLHIV के साथी की एचआईवी जांच सूचकांक की उपलब्धि कम परिलक्षित हो रही है |

अतः एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों (गर्भवती महिलाओं सहित) के यौन साथियों/पति/पत्नी/आईडीयू के साथियों की एचआईवी जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जावे :

1- **ICTC स्तर की संस्थाओं हेतु -**
   - प्रत्येक माह केंद्र मे जाँचे गए समस्त PLHIV (गर्भवती महिलाओं सहित) की जानकारी SIMS,PALS तथा SOCH मे दर्ज करेंगे |
   - प्रत्येक माह ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार करें जिनके साथियों की जांच नही हुई है या CBS/FICTC स्तर पर पूर्व मे हो चुकी है | यह सूची जिले मे कार्यरत संस्थाओं (TI NGO,CSC Vihaan,Swetna,Subhiksha) के साथ उनके हितग्राही प्रकार तथा कार्यक्षेत्रानुसार प्रदान की जावे , जिससे उनका फॉलोअप हो सके |
   - इस सूची के अनुसार सर्वप्रथम परामर्शदाता /LT दूरभाष से संपर्क कर,हितग्राहियों के साथियों को ICTC पर जांच हेतु आने के लिए प्रेरित करेंगे |
   - हितग्राही के साथी के आईसीटीसी पर आने के उपरांत उनकी जानकारी SIMS, PALS तथा SOCH मे दर्ज की जाए |
   - CBS/F-ICTC संस्थाओं हेतु प्रदान किए गए A1/A12 रजिस्टर की छायाप्रति सुरक्षित रखेंगे |

- हितग्राहियों के साथी (जिनकी पूर्व मे आईसीटीसी मे एचआईवी जांच हो चुकी है) की SIMS मे रिपोर्टिंग की जाना आवश्यक है | इस हेतु निम्न कार्यवाही की जाये :

  केस 1 - यदि हितग्राही (Client A) के साथी (Client B) की जांच वर्ष 2020-21 या पूर्व वर्षों मे हो चुकी है ,परंतु हितग्राही की जांच वित्तीय वर्ष 2021-22 मे हुई है,तो उसके साथी (Client B) की जांच संख्या SIMS सेक्शन B (GC हेतु) के Part ii इंडिकेटर क्रमांक 1 एवं 2 में तथा सेक्शन D (PPTCT हेतु) के इंडिकेटर क्रमांक 10.2 एवं 10.3 मे दर्ज की जाए |

केस 2 - यदि हितग्राही (Client A) तथा साथी (Client B) की जांच एक ही वित्तीय वर्ष मे हुई है तो जिस माह मे साथी (Client B) की जांच हुई है , उस माह के spouse जांच के इंडिकेटर मे उसकी संख्या दर्ज की जाना चाहिए | उदाहरणार्थ : यदि हितग्राही (Client A) की जांच माह अप्रैल मे हुई है तथा साथी (Client B) की जांच माह अगस्त मे हुई है तो spouse जांच की जानकारी माह अगस्त 2021 मे दर्ज की जाना चाहिए |

2- CBS/F-ICTC स्तर की संस्थाओं हेतु -

- प्रत्येक माह आईसीटीसी से प्राप्त सूची के अनुसार हितग्राही का फॉलोअप किया जाना चाहिए |
- यदि हितग्राही के साथी की जांच राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा प्रदत्त CBS/FICTC संस्था द्वारा की जा रही है तो निम्न कार्यवाही की जाए :
  - जिस दिवस साथी की जांच की जाना है , उसी दिवस CBS/FICTC संस्था का प्रतिनिधि संबंधित ICTC स्टाफ से संपर्क कर विवरण प्रदान करेंगे तथा ICTC उस हितग्राही के लिए एक PID संख्या आवंटित कर , परामर्श रजिस्टर मे उस व्यक्ति के लिए स्थान रिक्त छोड़ेंगे |
  - CBS संस्था व्यक्ति का विवरण राज्य समिति द्वारा प्रदान किए गए A1/A12 रजिस्टर मे दर्ज कर, जांच हेतु सहमति प्राप्त करेंगी |
  - जांच उपरांत,यदि व्यक्ति reactive पाया जाता है तो उसे निकटतम ICTC पर पुष्टीकरण हेतु भेजा जाएगा तथा संबंधित ICTC को सूचित करेंगे |
  - यदि व्यक्ति जांच मे non-reactive पाया जाता है तो उसे एचआईवी की non-reactive रिपोर्ट दी जावे |
  - प्रत्येक माह के अंत मे (आवश्यक रूप से दिनांक 28 से 30/31 के मध्य) CBS संस्था प्रतिनिधि , संबंधित ICTC पर भ्रमण कर , A1/A12 रजिस्टर के पेज की छायाप्रति (जिसमे उपरोक्त हितग्राही की जानकारी तथा सहमति लिखी है) प्रदान करेंगे , जिसकी सहायता से ICTC ,हितग्राही के साथी की जानकारी अपने रिकॉर्ड मे दर्ज करने के साथ online portal मे भी रिपोर्ट करेंगे | साथ ही एक रिपोर्ट जिला DAPCU के साथ भी साझा करेंगे जिससे उनके अंतर्गत आने वाले जिलों की मॉनिटरिंग की जा सके |

3- एआरटी केंद्र हेतु -

- प्रत्येक माह समस्त एआरटी डाटा मैनेजर अपने केंद्र मे पंजीकृत PLHIV तथा उनके साथियों की सूची तैयार करेंगे |
- उपरोक्त सूची मे से ,जिन हितग्राहियों के साथियों की एचआईवी जांच नही हुई है, को पृथक करेंगे तथा यह सूची एआरटी परामर्शदाता तथा CSC Vihaan के प्रतिनिधियों के साथ साझा करेंगे |
- उपरोक्त सूची के अनुसार एआरटी परामर्शदाता/Vihaan दूरभाष से PLHIV से संपर्क कर ,उनके साथियों को ICTC मे जांच करवाने हेतु प्रेरित करेंगे |
- संपर्क न होने अथवा दूरभाष से प्रेरित न होने की दशा मे ,सीएससी विहान प्रतिनिधि ग्रह भ्रमण कर जांच हेतु प्रोत्साहित करेंगे |
- CBS पर जांच होने की दशा मे बिन्दु क्रमांक 2 का परिपालन किया जाएगा |

4- TI, Swetna, Subhiksha, Vihaan परियोजना हेतु -

- कार्यक्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक माह ICTC/ART द्वारा प्रदान की गई सूची अनुसार हितग्राहियों के साथियों का फॉलोअप कर , हितग्राहियों के साथियों को ICTC पर जांच हेतु आने के लिए प्रेरित करेंगे |
- यदि हितग्राही के साथी की जांच CBS/F-ICTC संस्थाओं पर की गई है तो बिन्दु क्रमांक 2 का परिपालन किया जाएगा |

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही कर संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित करें , जिससे राज्य मे spouse/partner testing मे गति लाई जा सके तथा आंकड़ो मे सुधार किया जा सके |

o/c (डॉ.के.डी.त्रिपाठी)
आई.ए.एस
परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति

पृ.क्रमांक/एफ 21-30/ आईसीटीसी/2021/3414
भोपाल,दिनांक 30/9/21

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मिशन संचालक ,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश |
2. समस्त घटक प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति |
3. टीम लीडर,TSU HLFPPT,भोपाल |
4. राज्य पीपीटीसीटी सलहकार, यूनिसेफ़ भोपाल |
5. राज्य निदेशक, लेप्रा सोसाइटी, भोपाल |
6. राज्य परियोजना समन्वयक, सुभीक्षा परियोजना,मध्यप्रदेश |
7. राज्य प्रोग्राम स्पेशलिस्ट,स्वेतना परियोजना, मध्यप्रदेश |
8. टेक्निकल ऑफिसर, विहान परियोजना,मध्यप्रदेश |
9. समस्त डेपकू, मध्यप्रदेश |
10. समस्त एआरटी केंद्र , मध्यप्रदेश |
11. समस्त CSC , मध्यप्रदेश |
12. समस्त आईसीटीसी , मध्यप्रदेश |
13. समस्त टीआई एनजीओ,मध्यप्रदेश |

o/c परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल